

कार्यालय वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०, बाँदा
पत्रांक 1717 / 33-1 / दिनांक: बाँदा : अक्टूबर 25, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ ।

विषय :- जनपद बाँदा में नरैनी से कार्लीजर तक सड़क के किमी० 35.00 से 60.825 तथा कार्लीजर बघेलाबारी सड़क के किमी० सं०- 0.00 से 1.50 तक फोरलेन निर्माण कार्य हेतु कुल 31.58 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1914 वृक्षों के अवपातन का प्रस्ताव सं०-FP/UP/ROAD/25036/2017 में लगाई गई आपत्ति के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ का पत्रांक-08 बी/06/78/2018एफ०सी०/474 दिनांक 17.10.2018 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, बाँदा का पत्रांक-970/33-1 दिनांक 25.10.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रपोजल सं०- FP/UP/ROAD/ 25036/2017 में आप द्वारा 01 से 07 बिन्दुओं की आपत्ति लगायी गयी थी जिसका निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी, बाँदा एवं इस कार्यालय द्वारा कर दिया गया है। अतः संशोधित प्रस्ताव पुनः ऑन लाइन कर 03 प्रतियों में आपकी सेवा में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार मूल 03 प्रतियों में ।

भवदीय
(अरविन्द कुमार सिंह)
वन संरक्षक
चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक ।

प्रतिलिपि - प्रभागीय वनाधिकारी, बाँदा वन प्रभाग को पत्र सं०-970/33-1 दिनांक 25.10.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार सिंह)
वन संरक्षक
चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा